न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज०

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का मसारी बनाम रामस्वरूप

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- RA/10/2018 निर्णय दिनांक :- 31-12-18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मसारी की आ.ख.न. 1231 कुल रकबा 0.173 किस्म जमीन गैरमु० में से 0.01 रकबे पर श्री रामस्वरूप S/O मूला जोगी पर अनाधिकृत रास्ता रूप से अतिक्रमण कर छप्पर/बाड़ा डाल कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का मसारी द्वारा दिनांक 5/6/18 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. दारौदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी रामस्वरूप S/O मूला जाति जोगी निवासी मसारी को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित नहीं आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 1231/0.173 रकबा 0.01 में से रकबे किस्म गैरमु०रास्ता है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 9 Paise का 50 गुणा 5/- five रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है गांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी मसारी भू.अ.निरी. दारौदा .... को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर (अलवर) राज०
कठूमर, अलवर (राज.)

40 4
2018-19 5/-

प्रतिलिपि :- [illegible]